कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक: आर–4/विविध (106)रीको/2015/153 दिनांक :– 9.1.23

आदेश

सलाहकार (इन्फा), राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि0, (RIICO) द्वारा अपने पत्र कमांक आईपीआई(अ)/1314/2015/1091 दिनांक 31.08.2015 द्वारा ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित 361.08 हैक्टेयर भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने की मांग करने पर उपखण्ड अधिकारी दूदू से प्रस्ताव प्राप्त किये गये। उपखण्ड अधिकारी दूदू के प्रस्ताव अनुसार ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद के खसरा नंबर 33 रकबा 44.06 हैक्टे0, खसरा नंबर 73 रकबा 120.68 हैक्टे0, खसरा नंबर 110 रकबा 93.76 हैक्टे0, खसरा नंबर 111 रकबा 26.87 हैक्टैयर एंव खसरा नंबर 1413/111 रकबा 70.00 हैक्टे0 किता 05 किस्म बंजड कुल रकबा 355.27 हैक्टे0 भूमि प्रस्तावित की है।

रीको द्वारा ग्राम बिचून तह0 मौजमाबाद में स्थित सिवायचक भूमि आरक्षित की मांग करने पर इस कार्यालय के आदेश कमांक 1738 दिनांक 25.2.2016 के द्वारा ग्राम बिचून तह0 मौजमाबाद में राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में औद्योगिक प्रयोजन हेतु निम्नाकित भूमि पृथक (सेट अपार्ट) की गई है।

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	किस्म	स्वीकृत क्षेत्रफल
बिचून	33	बजंड	44.06 हेक्टे.
–"–	73	–"–	120.68 हेक्टे.
–"–	110	–"–	93.76 हेक्टे.
–"–	111	–"–	26.87 हेक्टे.
–"–	1413/111	–"–	70.00 हेक्टे.
	कुल किता 5	योग	355.27 हेक्टे.

उपखण्ड अधिकारी दूदू के पत्र कमांक 720 दिनांक 26.02.2020 द्वारा भविष्य की आवश्यकताओ को नददेनजर रखते हुए राजकीय कार्यालय के निर्माण/चारागाह में बसी आबादी के क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु कुल रकबा 74.06 हैक्टेयर को छोडते हुए शेष 278.0427 हैक्टेयर भूमि जो की अतिक्रमण मुक्त है, को उपयुक्त बताई है।

उक्त प्रस्तावित संशोधन के क्रम में राज्य सरकार के आदेश कमांक प.11(1)राज–6/2004/133 जयपुर दिनांक 25.11.2019 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अलग रखने (सेट अपार्ट करने) से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होने के कारण मूल प्रकरण इस कार्यालय के पत्र कमांक 1282 दिनांक 12.03.2020 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प06(389)राज–3/2020 दिनांक 28.12.2020 द्वारा कुल रकबा 278.0427 हैक्टेयर भूमि के संशोधित आदेश जारी किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

रीको को ओघोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होने के कारण ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद की 278.0427 हैक्टेयर राजकीय भूमि रीको को आवंटन किये जाने हेतु जिला कार्यालय के पत्र कमांक 8402 दिनांक 24.08.21 द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये। राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 29.10.21 द्वारा सूचना चाहे जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 1193 दिनांक 10.03.22 द्वारा 191.3227 हैक्टेयर भूमि रीको को आवंटित किये जाने बाबत् सूचना भिजवाई गई।

राजकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवंटन प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने पर संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र कमांक प06(389)राज–3/2020 दिनांक 07.12.22 द्वारा *"ग्राम बिचून के ख0न0 73 कुल रकबा 120.58 है0 में से 97.06 है0, ख0न0 110 कुल रकबा 90.5927 है0 में से 53.3927 है0, ख0न0 111 कुल रकबा 26.87 है0 में से 1.87 है0, ख0न0 1413/111 कुल रकबा 70.00 में से 39.00 है0 कुल किता 4 किस्म बंजड कुल रकबा 308.0447 में से 191.3227 है0 को राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 की धारा 11ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको लिमि0) को कीमतन आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई।"*

राजकीय स्वीकृति की अनुपालना में प्रश्नगत भूमि की कीमतन राशि 43,08,98,132/– रूपये (अक्षरे तैयालीस करोड आठ लाख अठानवे हजार एक सो बत्तीस रूपये मात्र) राजकोष में जमा कराने हेतु रीको को लिखे जाने पर रीको द्वारा जी0आर0एन0 70161738 दिनांक 30.12.2022 से जमा राजकोष करवाई गई। जमा राशि की सत्यापन रिपोर्ट तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा पत्र कमांक 14 दिनांक 03.01.2023 द्वारा भिजवाई गई।

अतः राजकीय स्वीकृति की अनुपालना में ग्राम बिचून के ख0न0 73 कुल रकबा 120.58 है0 में से 97.06 है0, ख0न0 110 कुल रकबा 90.5927 है0 में से 53.3927 है0, ख0न0 111 कुल रकबा 26.87 है0 में से 1.87 है0, ख0न0 1413/111 कुल रकबा 70.00 में से 39.00 है0 कुल किता 4 किस्म बंजड कुल रकबा 308.0447 में से 191.3227 है0 भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 92 के तहत नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित (Setapart) करते हुए राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11ए के तहत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि0 (RICCO) को किये जाने तथा उपरोक्त आंवटित भूमि के अतिरिक्त उक्त खसरा नम्बरान की शेष भूमि तथा खसरा नम्बर 33 कि 44.06 है0 भूमि को पुनः रीको के खाते से कम किया जाकर पूर्ववत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

आवंटन शर्तें:—

(i) भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदारी आधार पर आवंटित की जाएगी।

(ii) ऐसी (राजकीय) भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए प्रभारित किये जाने वाला प्रीमियम आस–पास की उसी वर्ग की कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य होगा तथा उसका तदनुसार निर्धारण राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में उपनिवेशन आयुक्त द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में संबंधित कलक्टर द्वारा किया जायेगा, परन्तु यह और कि जहाँ भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम द्वारा क्रय की गई हो या राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम के लिए इसके निगमन (इनकोरपोरेट) होने के पश्चात अवाप्त की गई हो तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम द्वारा मुआवजा संदत कर दिया गया हो, जहाँ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम से आवंटन के लिए कोई प्रीमियम प्रभारित नही किया जायेगा।

(iii) पट्टा किराया एक रूपये प्रति वर्ष, प्रति एकड की दर से (473/– रू0 प्रति वर्ष) देय होगा।

(iv) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड उसे पट्टे पर दी गई भूमि या उसके किसी भाग को औद्योगिक प्रयोजनार्थ (जिसमें अनिवार्य कल्याण और समर्थक सेवाए भी सम्मिलित है) के लिए उप–पट्टे पर दे सकेगी, परन्तु हीरे एवं जवाहरात विकास निगम, जिसे रीको द्वारा पहले ही 99 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर दी गई हो, तो उप–पट्टेदार यानि डी.जी.डी.सी उसे उप–पट्टे पर दे सकेगी तथा इन नियमों में अन्तर्विष्ट शर्ते एवं निबन्धन तथा अन्य प्रावधान, जो रीको से संबंधित है, वे डी.जी.डी.सी के मामले में आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होगे, मानों प्रश्नगत भूमि, उन्हे राज्य सरकार द्वारा उक्त नियम 11–क के अधीन पट्टे पर दी गई हो। परन्तु यह और कि जहाँ कोई भूमि राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड के पक्ष में उसके निगमन के पश्चात औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित या रूपान्तरित की गई हो, किन्तु ऐसी भूमि का उपयोग अनिवार्य कल्याण और समर्थक सेवाओं के लिए कर लिया गया हो, तो ऐसा आवंटन औद्योगिक प्रयोजनार्थ समझा जाएगा।

(v) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड का उप–पट्टेदार, उप–पट्टाकृत भूमि या उसके किसी भाग को, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर आगे उप–पट्टे पर दे सकेगा, जो ऐसे उप–पट्टेदार और पश्चातवर्ती उप–पट्टेदार के मध्य आपसी सहमति से तय हो, उप–पट्टेदार पर लागू निबन्धन और शर्ते, यथावश्यक परिवर्तनो सहित ऐसे पश्चात्वर्ती उप–पट्टेदार पर लागू होगी।

(vi) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड स्वयं द्वारा उपपट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में पट्टा किराया तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो उसके द्वारा निर्धारित किए जाएँ, उदग्रहित एवं वसूल कर सकेगी।

(vii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड स्वयं द्वारा दिए गए उपपट्टो की कालावधि का निर्धारण करेगी, किन्तु किसी भी मामले में यह 99 वर्ष से अधिक नही होगी।

(viii) रीको उसके किसी उप–पट्टाधारी द्वारा औद्योगिक प्रयोजन से अन्यथा (अनिवार्य कल्याण एवं समर्थन सेवाए) काम में लेने पर या पट्टा या उप–पट्टा की किसी शर्त का उल्लंधन करने पर भूमि बिना भारग्रस्तता एवं बिना प्रतिकरण भुगतान किए वापिस सरकार में निहित हो जाएगी।

(ix) रीको उप–पट्टाधारी इन नियमों के अधीन विहित सभी शर्तो से निरन्तर शासित होगा एवं अन्य समवर्ती, नियम या आदेश, जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उदघोषित एवं जारी किए जाए, का पालन करेगा।

PDR
2740
10/1/23

sd

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

क्रमांकः आर–4/विविध (106)रीको/2015/ 154 to 161 दिनांक :– 9.1.23

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र कमांक प06(389)राज–3/2020 दिनांक 07.12.22 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सलाहकार (इन्फ्रा), राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि0, (RIICO) के पत्र कमांक आईपीआई(अ)/1314/2015/1091 दिनांक 31.08.201 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर ।
5. तहसीलदार मौजमाबाद को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस) की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मौजमाबाद, जिला जयपुर।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत, बिचून पंचायत समिति मौजमाबाद जिला जयपुर।
8. आदेश/गार्ड पत्रावली।